फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024 | 354

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सन्दीप कुमार बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 25 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.01.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.02.2024 को पेश हो। [signature]	
07.2.2024	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित नहीं। पुन: सम्मन पेश होने पर तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 9.4.2024 को पेश हो। [signature]	
9.4.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित/PO माह० [illegible] है। पत्रावली [illegible] गस्त [illegible] दिनांक 11.6.2024 को पेश हो [signature]	
11.6.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित/PO माह० [illegible] है। पत्रावली [illegible] गस्त [illegible] दिनांक 27.6.2024 को पेश हो [signature]	
27.06.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद वादी [illegible] पूर्ण विवरण सहित [illegible] जाकर शामिल फाईल [illegible] नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम [illegible] जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 25/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सन्दीप कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति सुथार निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री अशोक कुमार भादू वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 27-06-2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री अशोक कुमार भादू वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि आराजी जरई रोही मौजा ढाणी लेघान के ख.नं. 1345 की 20.664 है., 2095/1332 की 18.511 है., 2270/1332 की 0.888 है. कुल 40.063 है. में से 10347/320504 हिस्सा भूमि में दर्ज वादी का नाम सन्दीप पुत्र बनवारीलाल के स्थान पर सन्दीप कुमार पुत्र बनवारीलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27-06-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested